प्रकाशन का 41 वां वर्ष

शैल

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
निष्पक्ष
एंव
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार

ई – पेपर
www.facebook.com/shailshamachar
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 41 अंक – 29 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 18 – 25 जुलाई 2016 मूल्य पांच रूपए

ई.डी.मामले में

नहीं मिल पायी वीरभद्र को अन्तरिम राहत और आनन्द चौहान को जमानत

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह को मनीलॉडरिंग मामले में अब तक अदालत से कोई राहत नही मिल पायी है और इसी मामलें में गिरफ्तार उनके एलआईसी ऐजैन्ट आनन्द चौहान को जमानत नही मिल पायी है। इस मामले में ईडी का जो रूख अब तक सामने आया है उससे लगता है कि अभी निकट भविष्य में किसी को भी राहत मिलना कठिन है। स्मरणीय है कि वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह, आनन्द चौहान और चुन्नी लाल के खिलाफ 23.9.15 को सीबीआई ने आय से अधिक संपति का मामला दर्ज किया था। इसी मामले के तथ्यों के आधार पर ईडी ने 27.10.15 को मनीलॉडरिंग का मामला दर्ज कर लिया था। सीबीआई ने मामला दर्ज करने के साथ ही वीरभद्र के आवास और कुछ अन्य स्थानों पर छापेमारी की। इस छापामारी से आहत होकर वीरभद्र ने हिमाचल उच्च न्यायालय में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले को रद्द किये जाने की गुहार लगायी। इस याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय ने वीरभद्र से पूछताछ करने गिरफ्तार करने और मामले का चालान अदालत में ले जाने से पूर्व अदालत से पूर्व अनुमति लेने की शर्त लगा दी। जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिये जाने के बाद भी गिरफ्तारी के लिये अनुमति लेने की शर्त अब भी जारी है। इस शर्त को हटाने के लिये सीबीआई की याचिका दिल्ली उच्चन्यायालय में लंबित है। वीरभद्र की तर्ज पर ही आनन्द चौहान और चुन्नी लाल ने भी हिमाचल उच्च न्यायालय से ऐसी ही राहत मांगी थी जो उन्हें नही मिली क्योंकि यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर हो चुका है। आनन्द चौहान और चुन्नी लाल की गिरफ्तारी पर अदालत से कोई रोक न होने से ही इनकी गिरफ्तारी हुई है।

दूसरी ओर जब ईडी ने मामला दर्ज करने के बाद छापामारी की तब वीरभद्र सिंह ने इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए ईडी की कारवाई का आधार बने दस्तावेजों की कापी मांगी तथा दर्ज मामले को रद्द करने की गुहार लगायी। यह याचिका भी अभी तक न्यायालय में लंबित चल रही है ईडी द्वारा किसी की भी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। इसी आधार पर ईडी ने आनन्द चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। आनन्द चौहान की गिरफ्तारी से संकट में आये वीरभद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी गिरफ्तारी की संभावित आंशका पर न्यायालय से सुरक्षा की गुहार लगायी है जो नही मिलने पायी है। ईडी से अभी तक इस मामले के किसी भी अभियुक्त को कोई राहत नहीं मिल पायी है। जानकारो का मानना है कि इसमें अब राहत मिलने की सारी संभावनाएं नही के बराबर रह गयी है क्योंकि ईडी में 27.10.15 को दर्ज हुए मामले में वीरभद्र को 16.11.15 को ऐजैन्सी में पेश होने के सम्मन जारी किये गये थे। जिस पर वीरभद्र ने ईडी को 10.1.16 को पत्र भेजकर सूचित किया कि 15 फरवरी तक व्यस्त है इसलिये नही आ सकते। इसके बाद 11.1.16 को वीरभद्र का वकील पेश हुआ जिसने कुछ आंशिक जानकारीयां ईडी को दी। यह आंशिक जानकारियां पर्याप्त और संतोषजनक न होने पर ईडी ने वीरभद्र को 5.1.16,12.1.16, 21.1.16, 28.1.16, 11.3.16, 17.3.16 और 21.3.16 को पेश होने के सम्मन भेजे लेकिन वह एक बार भी ऐजैन्सी के सामने पेश नही हुए। वीरभद्र के पेश होने पर ईडी ने 23.8.16 को करीब आठ करोड़ की चल-अचल संपति की अटैचमैन्ट के आदेश जारी कर दिये। बल्कि इसी बीच 9.2.16 को बागवानी निदेशक डी पी भंगालिया का ब्यान ईडी ने दर्ज किया जिसमे श्रीखण्ड बागीचे से 2008-09 में 5500, 2009-10 में 2700 तथा 2010-11 में 9300 वाक्स सेब उत्पादन की संभावना बतायी गयी है। 8.2.16 को ए.पी.एम.सी. सोलन के सचिव भानू शर्मा ने ईडी को परवाणु सेब मण्डी के कार्यशील होने तथा सेब के ढुलान में प्रयुक्त होने वाले फार्मो आर तथा क्यू की जानकारी दी तथा आनन्द चौहान द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज जांच में न मिलने की भी जानकारी दी। 8.2.16 को निदेशक परिवहन के कार्यालय से इस सेब के ढुलान में प्रयुक्त हुए कथित वाहन नम्बरों की जानकारी ली गयी जिसमे यह वाहन मौजूदा ही नहीं होने की जानकारी सामने आयी।

इस तरह जो घटनाक्रम पूरे मामले में घटा है उससे यह तथ्य उभरता है कि ईडी ने वीरभद्र को अपना पक्ष रखने के बहुत अवसर दिये लेकिन वह एक बार भी ऐजैन्सी के सामने पेश नही हुए। वीरभद्र के इस असहयोग के बाद ईडी के पास संपति अटैचमैन्ट का आदेश जारी करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नही रह जाता था। अब एलआईसी पॉलिसीयों और कुछ एफडीआर में निवेश हुए धन का वैध स्त्रोत बताने की जिम्मेदारी केवल वीरभद्र परिवार की ही रह जाती है क्योंकि इन पॉलिसीयो को कैश करवाकर ग्रेटर कैलाश में लिया गया मकान प्रतिभा सिंह के नाम पर है पालिसीयों में हुए निवेश के रिकार्ड पर लाभार्थी यही परिवार है। इसी तरह वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर से करीब 6.5 करोड़ का ऋण लेना तो प्रतिभा सिंह ने अपने चुनावी शपथ पत्र में दिखाया हैं लेकिन सीबीआई और ईडी की जांच में यह सामने आया है कि वक्कामुल्ला के पास इतना धन है ही नही। ईडी वक्कामुल्ला से लिये गये करीब 6.5 करोड के ऋण को भी मनीलॉडरिंग मान रही है। सूत्रों के मुताबिक वक्कामुल्ला को लेकर ईडी की जांच पूरी हो गयी है और अब उसको सारे संबंधित लोगों से पूछताछ का दौर शुरू होगा। यदि वक्कामुल्ला के पास वैध स्त्रोत नहीं पाया गया तो यह पैसा भी मनीलॉडरिग का हिस्सा बनेगा और इसमें कुछऔर संपतियां अटैच होने की स्थिति आ जायेगी। यह भी माना रहा है कि ईडी ने इसी मामले में जो देश के विभिन्न शहरो में छापामरी की है उसकी कड़ीयों में भी कई और लोग जुड़ने स्वाभाविक हैं। चर्चा है कि इसमें कुछ मन्त्रियों, चेयरमैनो,पत्रकारो तथा अधिकारियों के नाम भी चिन्हित हो चुके हैं जो इस मनीलॉडरिंग ट्रेल का हिस्सा माने जा रहे हैं। इस परिदृश्य में ईडी प्रकरण में निकट भविष्य में कोई राहत मिल पाने की संभावना नहीं है। माना जा रहा है कि वीरभद्र के सलाहकार इस मामलें में उन्हे सही राय नही दे पाये हैं।

प्रदेश के सियासी समीकरण समय पूर्व चुनावों का स्पष्ट संकेत

शिमला/शैल। जब से केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जे.पी. नड्डा ने प्रदेश की राजनीति में वापसी के संकेत दिये हैं तब से न केवल भाजपा के भीतरी समीकरणों में ही बदलाव आया है बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस सहित पूरे प्रदेश के सियासी समीकरण बदले हैं। भाजपा में नड्डा को प्रदेश के अगले मुख्यमन्त्री के एक प्रबल दावेदार के रूप में एक वर्ग से देखना शुरू कर दिया है। इस वर्ग का तर्क है कि अगले चुनाव तक धूमल 75 वर्ष की आयु सीमा के दायरे में आ जायेंगे और भाजपा ने जब केन्द्र में 75 के पार के नेताओं को केन्द्रिय मन्त्रीमण्डल से बाहर रखा है तो फिर प्रदेशों में भी यह नियम लागू करना ही पड़ेगा। कांगड़ा के सांसद पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार इसी गणित के चलते केन्द्रिय टीम से बाहर है। केन्द्र की इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश के नेताओं का इससे प्रभावित होना भी स्वाभाविक है। इसी प्रभाव का परिणाम था कि जब पिछले दिनो नड्डा पीटरहॉफ में आये थे तो धूमल के सर्मथकों का एक बड़ा वर्ग उनके गिर्द घेरा डाले देखा गया था। चर्चा तो यहां तब है कि कुछ लोगों ने धूमल और अनुराग के खिलाफ चल रहे एचपीसीए और अन्य मामलों की विस्तृत जानकारी भी पार्टी अध्यक्ष अमितशाह तक पहुंचा दी है। सूत्रों की माने तो करीब एक दर्जन विधायकों ने भी ऐसे पत्र पर हस्ताक्षर किये है। आय से अधिक संपति की शिकायत का भी पूरा जिक्र इसमें किया गया है। तर्क रखा गया है कि चुनावों के दौरान यह मामले चर्चा में आयेगें और इनका पार्टी की सियासी सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। धूमल खेमा भी इस पूरे खेल पर नजर रखे हुए है। माना जा रहा है कि इस रणनीति के सूत्र धारों में शान्ता और उनके समर्थक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

भाजपा के इन समीकरणों का प्रभाव हिलोपा और प्रदेश की आम आदमी पार्टी ईकाईयों पर भी पडा है। हिलोपा के भाजपा में संभावित विलय की जो चर्चाएं 2013 में ही शुरू हो गयी थी वह अब फलीभूत होती नजर आ रही हैं। हिलोपा का सारा कुनवा नाराज भाजपाईयों का ही था। सब जानते है कि नाराज लोग धूमल की कार्यशैली के विरोधी थे और समय-समय पर अपनी नाराजगी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं तक पहंचाते रहे हैं बल्कि भाजपा से अलग होने से पहले धूमल के खिलाफ एक विस्तृत प्रतिवेदन तत्कालीन अध्यक्ष नितिन गडकरी को सौंपा था। जिसकी जांच उस समय नड्डा को ही सौंपी गयी थी। हिलोपा के कई लोग विलय का एक समय तक विरोध करते रहे है। लेकिन अब बदले समीकरणों में सबने एकमत से यह फैसला महेश्वर पर छोड़ दिया है। हिलोपा का विधिवत विलय कभी भी सुनने को मिल सकता है। क्योंकि इस समय यह विलय हिलोपा और भाजपा दोनों की राजनीतिक आवश्यकता बन चुका है। भाजपा का राष्ट्रीय ग्राफ अब आशानुरूप आगे नहीं बढ़ रहा जिसके हर आये दिन नए नए कारण बनते जा रहें हैं। हिलोपा विलय की चर्चा के बाद विकल्प बनने की सोच भी नही सकती है।

संयोगवश इसी सबके बीच प्रदेश की आम आदमी पार्टी ईकाई भी भंग हो गयी। लोकसभा चुनावों में चारो सीटों पर चुनाव लड़कर प्रदेश में कदम रखने वाली पार्टी तब से लेकर अब तक अपनी उपस्थिति तक ढंग से दर्ज नही करवा पायी। परिणाम स्वरूप केन्द्रिय नेतृत्व को कड़ा कदम उठाते हुए इसे

शेष पृष्ठ 6 पर.....

भारतीय परम्परा,संस्कृति एवं जीवनशैली अपनाएं:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोगों से भारतीय परम्परा, संस्कृति और जीवनशैली को अपनाने का आहवान किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय मान्यता एवं परम्परा में योग का महत्वपूर्ण स्थान है और मौजूदा परिप्रेक्ष्य में योग से जीवन को सुखी और समाज को सही राह दिखाई

जा सकती है।

वह सोलन जिले के सुबाथू स्थित ध्यान योग आश्रम एवं आयुर्वेद शोध संस्थान, कठनी में आयोजित योग शिविर में बोल रहे थे। स्वामी ब्रह्मऋषि योगतीर्थ जी महाराज ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इससे पूर्व, उन्होंने कठनी में ब्रह्मबोध धाम, पातंजल योग अनुसंधान तपोभूमि का लोकार्पण भी किया।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि योग निरोग रहने का मूलमंत्र है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से लोगों को निरोग रहने का मूलमंत्र प्रदान किया है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि वर्तमान में योग के प्रकाश से पूरा विश्व आलौकिक हो रहा है। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में योग के साथ-साथ धर्म के महत्व को भी स्वीकार किया गया है, क्योंकि धर्म समाज को जोड़ता है। जिसमें सबका सुख निहित हो और जो व्यक्ति को अहिंसा एवं सत्य के मार्ग पर चलना सिखाए वह धर्म कहलाता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे धर्म के सार को समझें और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। समाज से अज्ञान और पाखण्ड को दूर करने के लिए ज्ञान हासिल करें और उसे हर व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि सभी ज्ञान से लाभान्वित हो सकें।

उन्होंने ध्यान योग आश्रम एवं आयुर्वेद शोध संस्थान कठनी में योग एवं सत्संग के माध्यम से जनहित में किए जा रहे कार्यो की सराहना की। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा मनुष्य को अनेक असाध्य रोगों से बचाया जा सकता है तथा आश्रम में इन पद्धतियों का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है।

उन्होंने इस अवसर पर आश्रम को 2लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने समाज कल्याण एवं आश्रम के द्वारा सभी के कल्याण के लिए कार्य करने वाली विभूतियों का सम्मानित भी किया। आचार्य देवव्रत ने आश्रम की गौशाला, पुस्तकालय एव औषधालय का दौरा किया एवं व्यवस्था की सराहना की।

स्वामी ब्रह्मऋषि योगतीर्थ जी महाराज ने इस अवसर पर मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा आश्रम की विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने योग के मौलिक सिद्धांतों की व्याख्या भी की। मास्टर खेमराज ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। केंट बोर्ड सुबाथू के अध्यक्ष सुशील गर्ग,आश्रम के अनुयायी, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item /percentage rate tenders are hereby invited by the Executive Engineer, Kumarsain Division, HP.PWD Kumarsain from the expreinced contractors enlisted with HPPWD for B&R works so as to reach in this office on or before **24-08-2016** up to **10:30 AM** and will be opened on same day at **11:00 AM** in the presence of intending contractors or their authorized representatives who may wish to be present.

The application for issue of tender form shall be received on **22.8.2016** upto **4:00 P.M**. The tender form shall be issued against cash payment (non-refundable) on **23.08.2016** from **10:00AM. to 4:00PM.**

The Earnest Money in the shape of National saving certificate / Time deposit receipt of any recognized Bank in HP duly pledged in the name of XEN and cost of tender from must accompany with each application for obtaining the tender form. The Executive Engineer reserves the right to rejected the tenders without assigning any reasons.

Name of Work : M/T on Kirti to Bhanana Road km 0/0 to 1/500 (SH:- Supply & Stacking of G-II in km 0/0 to 1/500) **Estimate Cost:** 3,83,355/- **Earnest Money:** 7700/- **Time:** Six Months.

Name of Work: Improvement on Baragaon Machinkhad road km 0/000 to 18/000(SH:- Improvement of road surface at Rd 8/825 to 8/915) **Estimate Cost:** 2,95,091/- **Earnest Money**:6000/- **Time:** Six Months.

Terms and Conditions:-

1. The contractors shall produce their latest registration/ renewal of their registration /latest sale tax clearance certificate and Pan No. along with their application.
2. The tender form shall be issued to only those contractors who fulfill the eligibility criteria as per condition No.28 of General Rules and Direction of contract agreement.
3. The exemption of earnest money will not be entertained.
4. The single/ conditional tender will be rejected.
5. The offer shall remain valid up to 90 days.

Adv. No.-1604/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

बिलासपुर हाइड्रो-इंजीनियरी कालेज की स्थापना को अनुमोदन प्रदान

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर, सांसद हमीरपुर और अध्यक्ष बी.सी.सी.आई. केन्द्र सरकार से बिलासपुर में हाइड्रो-पावर इंजीनियरी कालेज की स्थापना अनुमोदित करवा कर राज्य के लिए एक अन्य युगांतरकारी मीलपत्थर लेकर आए हैं। पीयूष गोयल, विद्युत, कोयला, नव और अक्षय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र भार), भारत सरकार के अनुराग ठाकुर को एक पत्र के माध्यम से इस अनुमोदन के बारे में सूचित किया है।

हाल ही में विद्युत मंत्रालय तथा नव और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के लिए परामर्शदात्री समिति की बैठक के दौरान अनुराग ठाकुर ने पीयूष गोयल से मुलाकात की थी जिसमें उन्होंने अनुराग ठाकुर को इस प्रगति के बारे में सूचित किया था।

हिमाचल प्रदेश के छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर अनुराग ठाकुर ने एन.डी.ए. के शासनकाल में नियम 377 के अन्तर्गत प्रमुखता से जिस मद्दे को लोकसभा में उठाया वह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हाइड्रो इंजींनियरिंग कॉलेज की स्थापना था। जिसकी स्वीकृति केन्द्र की भाजपा सरकार ने सासंद की अनुसंशा को ध्यान में रखकर किया है। ठाकुर ने प्रधानमंत्री जी को तथा उर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुये कहा है कि हिमाचल के छात्रों के हित में किये गये कार्य को हिमाचलवासी कभी भुलेगें नहीं।

इस घोषणा पर चर्चा करते हुए, अनुराग ठाकुर ने कहा,'मैं बिलासपुर में हाइड्रो-इंजीनियरी कालेज की स्थापना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए पीयूष गोयल जी और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद करता हूँ। यह कालेज अपने स्थापित हो जाने के बाद राज्य के लिए एक वरदान साबित होगा क्योंकि यह इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने की आकांक्षा रखने वाले विद्यार्थियों को आवश्यक मंच उपलब्ध कराएगा। बिलासपुर जिले में बांधला गांव में 62 बीघा जमीन पर स्थित इस कालेज में सिविल, इलेक्ट्रीकल, मैकनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरी में 240 सीटें उपलब्ध होंगी।

उन्होंने उल्लेख किया, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के समय कालेज के लिए चिन्हित की गई जमीन इस राज्य में थी। एन.टी.पी.सी. लि. और एन.एच.पी.सी. लिमिटेड ने इस परियोजना के लिए अपेक्षित 75 करोड़ रुपये की वचनबद्धता दी थी। बहरहाल, कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक विलंब किया गया जिसके फलस्वरूप यह परियोजना स्थगित हो गई। लेकिन केन्द्र सरकार की सहमति के साथ,

यह राज्य के लिए काफी खुशी की बात है क्योंकि इसके फलस्वरूप राज्य की प्रगति होगी।

हिमाचल प्रदेश, एन.एच.पी.सी. और एन.टी.पी.सी. के बीच एक सप्ताह के अंदर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। यह मीलपत्थर हिमाचल प्रदेश के ताज में एक रत्न बना है और राज्य की प्रगति में योगदान करना जारी रखेगा।

विभाग अपनी उपलब्धियां मीडिया के माध्यम से प्रचारित करे:मल्होत्रा

शिमला/शैल।सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग ने प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डो तथा निगमों के नोडल अधिकारियों के साथ जन सम्पर्क के संदर्भ में एक बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्यत: सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग व अन्य विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर प्रदेश सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों व कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का समय पर प्रभावी संप्रेषण को लेकर चर्चा हुई।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक दिनेश मल्होत्रा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विभाग संचार के विभिन्न साधनों के माध्यमों से सभी विभागों की सूचना के संप्रेषण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। उन्होंने सभी विभागों संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों के बारे में वास्तविक सूचना को सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को उपलब्ध करवाने का आग्रह किया ताकि इन्हें आम लोगों की सुविधा के लिए प्रचारित किया जा सके।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

मल्होत्रा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विकास के क्षेत्र में मॉडल राज्य बनकर उभरा है और प्रदेश में समाज के सभी वर्गो के कल्याण के लिए विभिन्न नीतियां व कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ कीं गई हैं। आज प्रदेश का देश भर में प्रमुख क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन है और अन्य राज्यों के मुकाबले प्रदेश के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर है। उन्होंने इन उपलब्धियों को निचले स्तर तक प्रचारित करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि लोग सरकार से मिल रही सुविधाओं से अवगत होकर उनका लाभ उठा सकें।

उन्होने कहा कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग सभी विभागों को उनकी प्रगति व उपलब्धियों का इलैक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रचारित करेगा। यह विशेषज्ञता से कार्य कर रहा है और विभाग के पास प्रदेश सरकार की नीतियों के प्रचार के लिए विभिन्न इकाइयां है, जो सरकार की उपलब्धियों को वीडियो एवं ऑडियो वृत्तचित्रों, प्रेस विज्ञप्तियों, फीचर, विज्ञापन व अन्य प्रकाशनों के माध्यम से प्रचारित कर रहा है। विभागों को अपनी उपलब्धियां प्रचारित करने के लिए सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर लक्षित लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के साथ-साथ उनमें सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं।

मल्होत्रा ने कहा कि विभागों को अपनी गतिविधियों को मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति, फीचर व प्रेस वार्ताओं के माध्यम से प्रचारित करने के लिए जिला लोक सम्पर्क अधिकारियों व प्रेस सम्पर्क कार्यालयों से भी सम्पर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागों को ऑडियो डाक्यूमेंटरी का लाभ उठाने के लिए आगे आना चाहिए, जो इस पहाड़ी राज्य में संचार का सबसे प्रभावी माध्यम है।

उन्होंने कहा कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, विभागाध्यक्षों व नोडल अधिकारियों को साक्षात्कारों के लिए आमंत्रित करेगा ताकि संबंधित विभागों की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया जा सके।

मल्होत्रा ने सूचना एवं जन सम्पर्क के आग्रह पर सभी विभागों से सम्पूर्ण व सही डाटा, सफलता की कहानियां तुरन्त उपलब्ध करवाने का आग्रह किया ताकि विभाग प्रभावी प्रचार के लिए इनका उपयोग कर सके।

बैठक में विभिन्न विभागों व संगठनों के नोडल अधिकारियों ने बहुमूल्य सुझाव दिए।

हिमाचल कार्बन क्रेडिट अर्जित करने वाला एशिया में पहला राज्य

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के समीप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चिनार का पौधा रोपित करने के उपरान्त कहा कि राज्य सरकार सदैव ही पारिस्थितिकीय

एवं प्राकृतिक संतुलन के संरक्षण के लिये कृतसंकल्प है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन एवं मनुष्य जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं और हम सब का कर्तव्य है कि न केवल वनों का संरक्षण किया जाए, बल्कि अधिक से अधिक पौधो लगाए जाएं तथा इन्हें जीवित रखना भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में वनों का बड़ा महत्व है। उन्होंने जानवरों, पक्षियों एवं वन्य प्राणियों जो पर्यावरण बनाए रखते हैं, के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2016 – 17 के दौरान 150 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर 1500 हेक्टेयर वन भमि पर 35 लाख औषधीय पौधों सहित एक करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अथवा स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा इस प्रकार के प्रयास आम लोगों को पौधारोपण की आवश्यकता के बारे में जागरूक करते हैं तथा उन्हें वनीकरण के लिये प्रेरित करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कार्बन क्रेडिट अर्जित करने वाला एशिया में पहला राज्य है और इसके परिणामस्वरुप भारत सरकार से इसके एवज में पहली किश्त के रूप में राज्य को 1.93 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसे राज्य की पंचायतों में पौधरोपण अभियान तथा संबद्ध गतिविधियों से जुड़े स्वयं सहायता समूहों में वितरित किया गया है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने सेब पैकिंग के लिये लकड़ी के बक्सों पर प्रतिबन्ध लगाया है जिसे बड़े पैमाने पर वन संपदा को बचाने में मदद मिली है तथा उत्पादकों को फल फसलों के बाजिव दाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में वन भूमि से आरा मशीनों को हटाया गया है जिससे पेड़ बचाने में मदद मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुछ भागों में वन तथा कृषि भूमि पर लैन्टाना घास फैल रहा है जिससे समुदायों की आमदनी के साधन प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई हेक्टेयर भूमि इस घास की चपेट में आ चुकी है और राज्य सरकार ने 13000 हेक्टेयर भूमि से लेन्टाना हटाने के लिये बजट प्रावधान किया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटे:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थी जो गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, के लिए एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि छुट्टियों के बाद जब विश्वविद्यालय में नई प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ होती है तो राजनीतिक दलों से जुड़े कुछ विद्यार्थी नए प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को बहकाने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में अपने टैंट लगा देते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य पूरे सत्र के शैक्षिक माहौल को प्रभावित करना होता है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि ऐसे लोग न तो स्वयं पढ़ना चाहते हैं और न ही दूसरों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना देते हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि ऐसे शरारती तत्वों को विश्वविद्यालय से बाहर का रास्ता दिखाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों में राजनीतिक व वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे नए विद्यार्थियों को उनकी हिदायतें मानने के लिए विवश कर शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करें। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से ऐसे असमाजिक तत्वों से कानून के अनुसार कड़ाई से निपटने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थी एक तरह के प्रोफेशनल आन्दोलनकारी है और ऐसे लोग केवल विश्वविद्यालय में अशांति व आन्दोलन करने के लिए ही प्रवेश लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थी सोचते हैं कि इस तरह के कार्य – कलापों व हरकतों से वे राजनीति में आसानी से प्रवेश पा सकते हैं, लेकिन यह उनकी भूल है। वीरभद्र सिंह ने ऐसे तत्वों को खुले तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी, ताकि उन्हें अपने अस्तित्व का पता चल सके। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में धरनों के आयोजन व नारेबाजी इत्यादि से शैक्षणिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में नारे लगाना व अध्यापकों से दुव्यर्वहार करना किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा और ऐसे कार्यों में संलिप्त लोंगों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में धरनों आदि में शामिल राजनीतिक दलों के नेता उनके पास भी आते हैं और उनकी सलाह को भी सुनते हैं, परन्तु जैसे ही वह उनके कमरे से बाहर निकलते हैं, तो सारी बातों को भूल जाते हैं।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) को आरम्भ करने व समय पर परिणाम घोषत करने वाला पहला विश्वविद्यालय है।

पब्बर नदी में अवैध खनन पर दोषियों से 3.94 लाख का जुर्माना

शिमला/शैल। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विभिन्न भागों में अवैध खनन की शिकायतों पर गंभीर है तथा इसे रोकने के लिये प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि खनन विभाग एवं लाईन विभागों को अवैध खनन पर कड़ी निगरानी तथा दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाही के निर्देश दिये गए हैं।

उन्होंने कहा कि शिमला जिले के रोहडू की पब्बर नदी में अवैध खनन की शिकायतों पर खनन विभाग ने कार्रवाही करते हुए विगत दो वर्षों के दौरान कुल 341 औचक छापे मारे तथा 130 मामलों में कार्रवाई करते हुए दोषियों से 3,93,900 रुपये की राशि की वसूली की है। उन्होंने कहा कि 21 मामले न्यायालय में दर्ज करवाए गए हैं, जिनमें से 8 मामलों का निपटारा हो चुका है।

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को नदी – नालों, जहां से खनन माफिया अवैध खनन को अंजाम देता है, ऐसे सभी अस्थाई संपर्क मार्गो को बंद करने को कहा है।

मत्स्य प्रबन्धन व विकास योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा 11 करोड़ की राशि स्वीकृत:भरमौरी

शिमला/शैल। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों व पहाड़ी राज्य होने के नाते प्रदेश को मत्स्य विकास के लिए 80 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के लिए सहमति व्यक्त की है और केन्द्र सरकार ने प्रदेश की विभिन्न मात्स्यिकी विकास योजनाओं के लिए 11 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि इस राशि के जारी होने से प्रदेश में मत्स्य गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रदेश को मत्स्य विकास के लिए केन्द्र से शत – प्रतिशत सहायता उपलब्ध थी, बाद में इसे घटाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके कारण प्रदेश में मत्स्य विकास कार्यक्रमों को धक्का लगा था। उन्होंने कहा कि मत्स्य विभाग के लिए यह राशि स्वीकृत करवाने के लिए विकास योजनाओं के अनुरूप प्रदेश सरकार ने भी मैचिंग ग्रांट स्वीकृत की है।

भरमौरी ने कहा कि स्वीकृत राशि के तहत ताजा जल में मत्स्य विकास के लिए 2 करोड़ रुपये, शीत जल में मत्स्य विकास के लिए 4 करोड़, जलाश्य में मत्स्य विकास के लिए 4 करोड़ तथा जलाश्य में मच्छुआरों के लिए आवास योजना एवं बन्द सीजन राहत भत्ता योजना के लिए 1 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

वन मंत्री ने कहा कि यह योजना प्रदेश के लिए 80:20 के अनुपात से स्वीकृत हुई है, जिसके तहत कुछ योजनाओं में 20 प्रतिशत भागीदारी लाभार्थियों की रहेगी और कुछ योजनाओं में 20 प्रतिशत की राशि प्रदेश सरकार द्वारा मैचिंग ग्रांट के रूप में स्वीकृत की जाएगी। योजना के तहत 15 हेक्टेयर नए तालाबों का निर्माण व 10 हेक्टेयर तालाबों का सुधार किया जाएगा। इसके तहत मछली बीज, खुराक, खाद व बीमारियों की रोकथाम के लिए भी अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस राशि से 106 ट्राउट इकाइयों का निर्माण, ट्राउट एवं कार्प हैचरियों की स्थापना, जलाशयों में बड़े आकार की मछली बीज का संग्रहण व बन्द सीजन राहत भत्ता व मछुआरों के लिए आवास योजना के तहत 80 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि आधुनिक मत्स्य आवतरण केन्द्रों के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत तक का अनुदान उपलब्ध रहेगा।

हि.प्र.कृषि विभाग व जाईका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

शिमला/शैल। प्रदेश कृषि विभाग व जापान इन्टरनेशनल कोआप्रेशन एजेंसी (जाईका) के बीच फसल विविधिकरण के लिए द्वितीय चरण की परियोजना के समझौता ज्ञापन पर कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश सरकार की ओर से सचिव कृषि अनुराधा ठाकुर तथा जाईका की ओर से जाईका के भारत स्थित प्रमुख प्रतिनिधि तकेमा सममोतो ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने कहा कि कृषि विभाग ने फसल विविधिकरण योजना का पहला चरण नवम्बर, 2015 में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि फसल विविधिकरण की नई परियोजना राज्य के लिए 5 वर्षो अर्थात 2016 से 2020 तक होगी। उन्होंने कहा कि जाईका द्वारा वित्त पोषित 321 करोड़ रुपये की ऋण परियोजना भी कार्यान्वयन के अन्तर्गत है।

पठानिया ने कहा कि द्वितीय चरण की टीसी परियोजना का उद्देश्य राज्य के पांच जिलों में कृषि पारिस्थितिकी के अनुकूल फसल विविधिकरण के पुनर्विस्तार के माध्यम से किसानों की आजीविका स्तर में सुधार लाना है। इन जिलों में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मण्डी तथा ऊना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना फसल विविधिकरण मॉडल में वृद्धि करने पर बल देती है, जिसे टीसी परियोजना चरण के अन्तर्गत विकसित किया गया है। परियोजना पांच जिलों में किसानों को प्रशिक्षण एवं विस्तार सेवाओं के माध्यम से फसल विविधिकरण के प्रोत्साहन के लिए कृषि विभाग की संगठनात्मक क्षमता की मजबूती को सुदृढ़ करना सुनिश्चित बनाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रभावी विपणन गतिविधियों को चिन्हित करना तथा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना भी परियोजना का उद्देश्य है।

कृषि मंत्री ने कहा कि परियोजना की गतिविधियां 200 से अधिक सिंचाई उप – परियोजना को कार्यान्वित कर 3710 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा तथा इसका संचालन व विकास कार्यन्वित की जा रही ऋण परियोजना जाईका के अन्तर्गत किया गया है। उन्होंने कहा कि परियोजना में जाईका के जापानी विशेषज्ञों को सब्जी की खेती, फसल कटाई के उपरान्त की गतिविधियों, विपणन, जल प्रबन्धन, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेश में सहयोग करने के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कि जापान में प्रबन्धन स्तर के अधिकारियों, फिल्ड अधिकारियों तथा कृषक विकास संघ के सदस्यों के लिए क्षमता विकास प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। कृषि निदेशक एस.आर. कालिया, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति के.के. कटोच, कृषि विभाग व जाईका के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे मैं है,
वो जरुरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है ना धन .....चाणक्य

सम्पादकीय

हिमाचल में लोकायुक्त की प्रसांगिकता

भ्रष्टाचार सबसे बडी समस्या है और जब यह सत्ता के उच्चतम शिखरों तक पंहुच चुका है तो इससे निपटने के लिये भी दण्ड संहिता के प्रावधानों के अतिरिक्त कुछ और प्रावधान भी चाहिये। इस सत्य और स्थिति को स्वीकारने के बाद लोकायुक्त संस्थानों की स्थापना हुई। मुख्यमन्त्री तक सारे राजनेताओं को इसके दायरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। आज देश के कई राज्यों में लोकायुक्त स्थापित है और प्रभावी रूप से अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। लेकिन कई राज्यों ऐसे है जहां लोकायुक्त के होने से व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हिमाचल में लोकायुक्त संस्थान का गठन 1983 में हुआ था और तब से लेकर आज तक यहां पर लोकयुक्त तैनात रहे हैं। लोकायुक्त किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश या सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायधीश ही बन सकता है वह सेवानिवृत भी हो सकता है और सेवानिवृत लेकर भी आ सकता है। लोकायुक्ता का अपना पूरा सचिवालय रहता है। जिसमें न्यायपालिका के सत्र न्यायधीश और आई ए एस तथा आई पी एस स्तर के अधिकारी तैनात रहते हैं। लोकायुक्त और उनके सचिवालय पर सरकारी कोष से करोड़ो रूपया खर्च किया जाता है लोकायुक्त पर सरकार का कोई दवाब नही रहता है। इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। लोकायुक्त अपने पास आयी शिकायत की जांच करवाने के लिये किसी भी सरकारी गैर सरकारी ऐजैन्सी की सेवायें ले सकता है। लोकायुक्त अपने में एक स्वायत और स्वतन्त्र संस्था है और यह व्यवस्था इसलिये रखी गयी है ताकि वह मुख्यमन्त्री तक किसी की भी निष्पक्षता जांच कर सके।

लेकिन क्या लोकायुक्त इन अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं? क्या लोकायुक्त ने किसी राजनेता के खिलाफ आयी शिकायत की जांच में कोई निष्पक्ष और प्रभावी परिणाम दिये हैं। जिस संस्थान पर सरकारी कोष से आम आदमी का करोड़ों रूपया खर्च हो रहा उसके बारे में यह सवाल उठाना और इनका जवाब लेना आम आदमी का अधिकार है। प्रदेश के लोकायुक्त अधिनियम को लेकर इन सवालों की पड़ताल से पहले यह जानना भी आवश्यक है कि लोकायुक्त अधिनियम में प्रदत्त स्वास्यता: और स्वतन्त्रता के प्रति राज्य सरकार का व्यवहारिक पक्ष क्या रहा है लोकायुक्त सचिवालय में सारे अधिकारी कर्मचारी सरकार द्वारा तैनात किये जाते हैं और इनमें सरकार लगभग उन लोगों को भेजती हैं जिन्हें एक तरह से साईड लाईन करना होता है। स्टाफ की यही तैनाती लोकायुक्त को पूरी तरह निष्प्रभावी बना कर रख देती है। प्रदेश के लोकायुक्त सचिवालय में आज तक जितनी भी शिकायतें आयी हैं उनमें किसी भी राजनेता के खिलाफ का कभी कोई मामला दर्ज किये जाने और उससे उसे सजा मिलने जैसी स्थिति नही आयी है। प्रदेश के दो मुख्य मन्त्रीयों वीरभद्र और प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ लोकायुक्त के पास शिकायतें आयी हैं। वीरभद्र सिंह के खिलाफ वन कटान को लेकर शिकायत आयी थी। इस शिकायत की जांच रिपोर्ट पढने से पूरी रिर्पोट की विश्वनीयता पर स्वत: ही सवाल लग जाता है। क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस स्थान पर अवैध कटान होने का आरोप था उसके निरीक्षण के लिये जब लोकायुक्त गये तो वह उस स्थल तक पहुंच ही नहीं पाये। बहुत दूर से दूरबीन के साथ स्थल का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में कहा गया है कि उस स्थल पर कुछ झाडियां देखी गयी जिनसे उस स्थान पर बड़े पेड़ों के होने की संभावना हो ही नही सकती इस निरीक्षण के लिये पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को स्थल पर जाकर देखने के लिये भेजा गया लोकायुक्त की इस रिपोर्ट से मामले में क्लीन चिट मिल गया था और इसको लेकर उस समय भी सवाल उठे थे।

प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ आय से अधिक संपति की शिकायत पुलिस के ए डी जी पी स्व. वी एस थिंड ने की थी। थिंड ने अपने शपथ पत्र के साथ काफी दस्तावेजी प्रमाण भी लगाये थे। लेकिन लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में पहले तो यह कहा है कि यह शिकायतें पांच वर्ष की समयावधि से पहले की है इसलिये उसके अधिकार क्षेत्र में नही आती हैं। फिर आगे इसी रिपोर्ट में यह भी कह दिया कि इस दौरान धूमल ने ज्यादा कमाया होगा और ज्यादा बचाया होगा इसलिये इसमें कुछ भी आपतिजनक नही है। यह रिपोर्ट भी थिंड की मौत के बाद सामने आयी है और इसे क्लीन चिट करार दिया गया है। जबकि यदि यह शिकायत अधिकार क्षेत्र से बाहर भी थी तो फिर इसमें ज्यादा कमाने और ज्यादा बचाने का उल्लेख क्यों और कैसे? इस तरह वीरभद्र और धूमल दोनों को लेकर लोकायुक्त की जो रिपोर्टें आयी हैं उनकी विश्वसनीयता पर स्वत: ही सवाल खड़े हो जाते हैं ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े किये गये इस अदारे की प्रसांगिकता पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं यह रिपोर्ट आम आदमी के सामने पूरी तरह से नही आ पायी है। लेकिन इन रिपोर्टो की व्यवहारिकता पर एक सर्वाजनिक बहस बहुत आवश्यक है। यदि बड़े स्तर पर पनप रहे बड़े भ्रष्टाचार पर रोक लगानी है। यदि लोकायुक्तों की कार्य प्रणाली ऐसी ही रहनी है तो ऐसी व्यवस्था पर आम आदमी का करोड़ो रूपया खर्च करने का औचित्य क्या है? उम्मीद है कि पाठक इस पर गंभीरता से मंथन करके कुछ नया करने और सोचने की ओर बढेगें।

बेईमानों को तोहफा ईमानदार को धोखा

बेईमानी या अवैध कामों को कानून मान्यता नहीं देता फिर भी हमारी प्रदेश सरकार नियम-कानून के होते हुए, लम्बे अर्से से शहरों तथा उपनगरों में बन रहे अवैध भवन निर्माणों पर कानूनी कार्यवाही करने की बजाय उनको वैध बनाने के लिए रास्ता खोजती रही और सरकार ने रिटेंशन पालिसी के अंतर्गत अवैध बहुमंजिला भवनों को नियमित करने के लिए 8 जून, 2016 को एक अध्यादेश जारी कर दिया। हो सकता है कि मर्जड क्षेत्र के लिए सरकार ने नीति ना बनाई हो पर शहरों के भवन निर्माण की नीति तय है।

शिमला। सरकार शायद भूल रही रही है कि शहरी/उपनगरीय क्षेत्रों के लिए डिवैल्पमैंट प्लान बहुत पहले से मंजूर है और इन इलाकों में भवन बनाने वाला जो कागजात बिल्डिंग के नक्शे के साथ टी.सी.पी. या शहरी नगर निकाय के दफ्तर में मंजूरी के लिए जमा कराता है उसमें एक ऐसा एफिडेविट भी होता है जिसमे उसने निष्ठा पूर्वक कसम ली होती है कि किसी भी सूरत में सरकार द्वारा तय किये हुए भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। जिसकी कानूनी मान्यता होती है और इसके बाद भी वह जानबूझ कर कानून तोड़ता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए ना कि अवैध से वैध का तोहफा।

शहरी डिवैल्पमैंट प्लान के अनुसार सैटबैक क्षेत्र में कोई निर्माण कतई मान्य नहीं केवल एक सीमा तक तकनीकी आधार पर छूट है तथा भवन बनाने वाले ने एफिडेविट के माध्यम से शपथ ली है कि सैटबैक क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं करेगा। परन्तु सरकार अवैध निर्माण में 70 प्रतिशत की छूट सैटबैक क्षेत्र में देने जा रही है तथा 30 प्रतिशत क्षेत्र सैटबैक के तौर पर रहेगा। उदाहरण के तौर पर 2.00 मीटर चौड़े सैटबैक का 70 प्रतिशत हुआ 140 सेंटीमीटर, शेष बचा 30 प्रतिशत यानि 60 सेंटीमीटर (दो फुट)। इस दो फुट में घरों को पीने के पानी की पाइप, घरों के गन्दे पानी की नालियां, छत से बरसाती पानी की नालियां, सीवरेज के पाइप और उसके चैम्बर आदि होंगे तो क्या यह विकास गतिविधियों के बहुत जगह है? इतना ही नहीं इसी सैटबैक से, जो बहुत कम होगा, साथ वाले घरों को हवा-रोशनी भी मिलनी है जो उनका अधिकार है तथा आपदा में भी रास्ते के इलावा यही सैटबैक काम आएगा। अध्यादेश गलत और जनहित में नहीं है।

अध्यादेश स्पष्ट नहीं है, जिसे पढ़कर लगता है कि अवैध बहुमंजिला भवनों के चारों ओर एक समान सैटबैक छोड़ने की जरूरत नहीं बल्कि एक तरफ भी 30 प्रतिशत टेढ़ी-मेढ़ी खाली जगह है तो शर्त पूरी।

प्रदेश सरकार ने अवैध भवनों को वैध घोषित करने के लिए उन सभी ऐसे प्रभावशाली लोगों, बिल्डिरों और संस्थाओं को खुश करने का मन बनाया है जिन्होंने नियम-कानून को ताक पर रख कर अवैध बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया है और वो भी सैटबैक छोड़े बिना। सरकार को आम जनता का हित देखना चाहिये जिनके घर के साथ अवैध निर्माण से कई प्रकार की दिक्कतें खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, किसी आपदा के दौरान ये बहुमंजिला भवन बहुत बड़ी रुकावट बनेंगे और सरकार के आपदा प्रबंध धरे के धरे रह जाएंगे। हैरानी तो यह है कि कई अवैध बहुमंजिला भवनों में नियमानुसार रास्ता तक नहीं छोड़ने के कारण आपदा के समय पहुंचना भी कठिन है।

सरकार को कोई लिहाज कानून तोड़ने वालों पर नहीं करना चाहिये बल्कि एफिडेविट के माध्यम से ली हुई कसम को तोड़ने पर सख्त एक्शन ले क्योंकि एफिडेविट एक कानूनी दस्तावेज है जिसके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान कानून में जरूर होगा।

हि.प्र. टेनेन्सी तथा लैण्ड रिफार्मज एक्ट 1972 की धारा-118 की मंजूरी उपरान्त जमीन खरीद कर भी अवैध बहुमंजिला भवन बने हैं। बिल्डिंग के स्वीकृत नक्शे अनुसार यदि निर्माण नहीं है तो उसे बिजली, पानी, सीवरेज आदि का एन.ओ.सी. नहीं देना चाहिए बल्कि जितना अवैध निर्माण है उसे नियमानुसार गिरा देना चाहिए।

सरकार में बैठे लोग यह कैसे भूल गए कि हमारा प्रदेश भूकम्पीय क्षेत्र 4-5 में आता है और ऐसी आपदा पहले भी झेली है। फिर बहुमंजिला अवैध भवनों को वैध करने का निर्णय लेते समय उन्हें आपदा का मुद्दा जनहित में याद क्यों नहीं रहा? ऐसा गलत अध्यादेश निंदनीय है और वापिस लिया जाना चाहिए।

मजे की बात है की आरंभ में मकान बनाने से पहले सरकार मकान बनाने वाले से स्ट्रक्चरल सुरक्षा प्रमाण पत्र लेती है। उदाहरण के लिए प्रमाण पत्र दो मंजिलों का दिया जाता है परन्तु बाद में उस पर कई मंजिलें अवैध तरीके से और बना दी जाती हैं तो ऐसी अवस्था में वह स्ट्रक्चर सुरक्षित कहां रह गया?

मर्जड एरिया के लिए शायद सरकार के पास कोई नीति न हो पर शहरी इलाकों के लिए तो है इसलिए शहरी क्षेत्रों पर अध्यादेश लागू नहीं होना चाहिए। केवल मर्जड एरिया और ग्रामीण इलाकों के लिए सरकार नीति बनाए ताकि उनका भी एक समान विकास हो सके। -विवेक-

ऊर्जा सुधारों ने विश्व में पहचान दिलाई

अनुपमा ऐरी

किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले भारत के बिजली क्षेत्र ने कभी ऐसे सुधार नहीं देखे थे जैसे पिछले दो सालों में देखे हैं। ऐसा नहीं है कि बिजली क्षेत्र में सुधारों पर अतीत में बात नहीं होती थी लेकिन न जाने क्यों वे उड़ान लेने में विफल रहे और सिर्फ कागज पर बेहतरीन तरीके से लिखा गया शब्दों का एक संग्रह बनकर ही रह गए।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने 26 मई, 2014 को कार्यभार ग्रहण किया और ऊर्जा क्षेत्र के गलियारों में वो चुप्पी का आखिरी दिन था। तब से ही भारतीय विद्युत क्षेत्र गतिविधियों से हलचल में है। नई सरकार के सत्ता में आने के कुछ ही दिनों में नए ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कई सारी प्रमुख योजनाओं की घोषणा की जिन्होंने अंतत: भारत में ऊर्जा क्षेत्र का चेहरा ही बदल दिया है।

वैश्विक एजेंसियों ने ऊर्जा सुधारों की प्रशंसा की

आज बिजली क्षेत्र में सुधारों को वैश्विक एजेंसियों द्वारा मान्यता दी जा रही है, चाहे वो विश्व बैंक हो या एशियाई विकास बैंक या फिर स्टैंडर्ड एंड पुअर (एस एंड पी) और फिच जैसी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां। एक हाल की यात्रा के दौरान विश्व बैंक के समूह अध्यक्ष जिम योंग किम ने भारत सरकार को अपने सुधारों की पहल के लिए बधाई दी है और भारत की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक अरब डॉलर के समर्थन पर घोषणा की।

दो साल पहले भारत का ऊर्जा क्षेत्र न सिर्फ घरेलू बल्कि अंतरराष्ट्रीय धन और रेटिंग एजेंसियों के लिए भी मुख्य चिंता का क्षेत्र था। और अब दो साल बाद देख लीजिए, हम यहां हैं और इसी बिजली क्षेत्र और इन्हीं एजेंसियों के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन एक अंतर के साथ। वह अंतर नेतृत्व और दृष्टिकोण का है। इस अंतर ने सभी सवालों और चिंताओं को एक आशावादी दृष्टिकोण में बदल दिया है।

हालांकि यह काम आसान नहीं था। यह बहुत सारे नए सुधारों और पहलों के कारण हो पाया जिन पर हमें विस्तार से नजर डालनी चाहिए।

वर्ष 2014 तक देश की पूरा ध्यान बिजली उत्पादन पर था लेकिन इतना ही समान कार्य बिजली के पारेषण और वितरण पर नहीं किया जा रहा था। और उत्पादन पर ध्यान देते हुए भी ईंधन (कोयला और गैस दोनों) की कमी से निवेश और परियोजनाएं अधर में थीं और बैंक वित्त अटक रहा था। बैंक उधार देने के लिए तैयार नहीं थे और निवेशक बिजली क्षेत्र में निवेश नहीं करना चाहते थे। राज्य वितरण कंपनियों की खराब होती वित्तीय सेहत के परिणामस्वरूप बिजली की खरीद कमजोर रही जिससे देश भर में बिजली की भारी कटौतियां हुई। सरल शब्दों में कहें तो बिजली क्षेत्र उथल पुथल की स्थिति में था।

जब राजग सरकार ने सत्ता संभाली थी तो उसे बिजली क्षेत्र की व्याकुलता की वास्तविक स्थिति का पता चला। हालांकि ऊर्जा मंत्रालय जल्द ही हरकत में आ गया और अस्थिर ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करने के लए अचूक पहलों की घोषणा की।

ऐसी कुछ शुरुआती पहलों में था (24X7 बिजली सब के लिए) जैसे "लैगशिप कार्यक्रमों की घोषणा करना। लेकिन ये रास्ता आसान न था। उनके रास्ते में पहली बाधा तब आई जब उन्हें पता चला कि उत्पादकों से बिजली खरीदने वाली भारत की ज्यादातर राज्य वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) बड़े पैमाने पर वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही थीं और जिन ग्राहकों की वे सेवा करती हैं उनके लिए या तो पर्याप्त बिजली की खरीद में या अपने बेहद पुराने वितरण नेटवर्क का उन्नयन करने में असमर्थ थीं जिसे आधुनिकीकरण की जरूरत थी।

इन डिस्कॉम का बकाया ऋण 2011 – 12 के 2.4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2014 – 15 में करीब 4.3 लाख करोड़ रुपये तक होने का अनुमान था जिसमें 14 – 15 प्रतिशत की ऊंची ब्याज दरें भी शामिल थीं। यह भी अनुमान लगाया गया था कि डिस्कॉम हर साल 60,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान झेलती हैं। इसलिए मिशन 24X7 (सभी के लिए किफायती बिजली) के अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सबसे पहला और जरूरी काम था इन डिस्कॉम में सुधार करना जो पूरी ऊर्जा मूल्य श्रंखला में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में पहचानी गई हैं।

ठीक उसी समय यह भी महसूस किया गया कि बिजली चूंकि एक समवर्ती विषय है इसलिए किसी भी योजना को किसी राज्य पर थोपा नहीं जा सकता है और यह वैकल्पिक होनी है। लेकिन इसी दौरान इसे काफी फायदेमंद बना दिया जाए तो इनमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी दिखेगी।

इसके परिणामस्वरूप नवंबर 2015 में राज्य वितरण कंपनियों में वित्तीय और परिचालन बदलाव के लिए 'उदय' या 'उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना' का शुभारंभ हुआ। उदय योजना इन बीमार डिस्कॉम को अगले तीन साल में लाभदायक बनने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा और अवसर प्रदान करती है।

वर्तमान में इस योजना के वैकल्पिक होने के बावजूद 20 राज्यों ने इसमें शामिल होने की सहमति दे दी है। इनमें से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ , झारखंड, पंजाब, बिहार , हरियाणा, गुजरात , उत्तराखंड, कर्नाटक, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर और आंध्र प्रदेश जैसे 13 राज्यों ने पहले से ही केन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं।

वर्ष 2015 – 16 में 99,541 करोड़ रुपये मूल्य के बॉन्ड भागीदार राज्यों ने जारी किए थे ताकि राज्यों के बकाया ऋण और झारखंड व जम्मू एवं कश्मीर की बकाया सीपीएसयू देय राशि का 50 प्रतिशत कम किया जा सके। इसके अलावा 11,524 करोड़ रुपये मूल्य के डिस्कॉम बॉन्ड भी जारी किए गए थे। वर्ष 2016 – 17 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब द्वारा 48,391 करोड़ रुपये मूल्य के बॉन्ड जारी किए गए हैं।

इसके साथ ही आर्थिक और संचालन के लिहाज से स्वस्थ डिस्कॉम अधिक बिजली की आपूर्ति करने की स्थिति में होंगी। बिजली की ऊंची मांग का मतलब होगा बिजली की प्रति यूनिट कम लागत जिसका अर्थ होगा उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट बिजली की कम लागत।

एक ओर जहां उदय योजना के परिणामों को देखने में कुछ समय लगेगा, सरकार समानांतर रूप से ईंधन की कमी को दूर करती दिख रही है ताकि अटके गैस आधारित संयंत्रों को पुनर्जीवित किया जा सके। बैंकों से भी संपर्क किया गया है कि वे इन संयंत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए इक्विटी ला सकें।

ऊर्जा दक्षता के उपाय

सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों की कहानी अधूरी ही रहेगी अगर हम ऊर्जा दक्षता उपायों की सफलता पर बात नहीं करेंगे। जितनी बिजली हम बचाते हैं, वो उतनी ही उत्पन्न करने के समान है, ऐसे में इस सरकार ने ऊर्जा दक्षता उपायों के माध्यम से जो उल्लेखनीय प्रगति की है उसका कोई भी अनुमान लगा सकता है।

सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) जो पहले करीब 6 लाख एलईडी बल्ब हर साल उपलब्ध करवाती थी वो अब 8 लाख बल्ब रोज उपलब्ध कर रही है जो हर मानक के लिहाज से एक कीर्तिमान है। ईईएसएल के नेतृत्व वाले (सभी के लिए सस्ती एलईडी) कार्यक्रम में सीएफएल बल्ब/लैंप के स्थान पर एलईडी बल्ब लगाने का काम शामिल है ताकि ऊर्जा बचे और ग्राहकों के बिल को कम किया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण

इस सरकार की एक और अभिनव योजना है सिम सक्षम, मोबाइल फोन से जुड़े स्मार्ट ऊर्जा कुशल कृषि पंपों का किसानों में वितरण जो पुराने कृषि पंपों का स्थान ले सकें।

ये स्मार्ट कृषि पंप भारतीय किसान को यह लाभ देते हैं कि वे अपने घरों में आराम में बैठ सकते हैं और वहीं से मोबाइल फोन के माध्यम से पंप संचालित कर सकते हैं। ईईएसएल द्वारा शुरू की गई अन्य पहल हैं ऊर्जा कुशल पंखे, ट्यूब लाइट और एयर कंडीशनर का वितरण।

अपने लोगों और खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के सशक्तिकरण के काम को प्रधानमंत्री द्वारा अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया है। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने 1000 दिन के भीतर यानी 1 मई 2018 तक भारत के शेष 18,452 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने की योजना की घोषणा की थी। ऊर्जा मंत्रालय ने इस परियोजना को मिशन मोड में लेने और प्रधानमंत्री द्वारा तय की गई समय सीमा से एक साल पहले ही गावों के विद्युतीकरण के लिए एक रणनीति निर्धारित करने का फैसला लिया है।

कुल 8,681 गांवों का आज तक (3 जुलाई, 2016) विद्युतीकरण किया जा चुका है और बाकी बचे 9,771 गांवों में से 479 गांव निर्जन हैं, 6,241 गांवों का विद्युतीकरण ग्रिड के माध्यम से किया जाना है, 2,727 गांवों का विद्युतीकरण बिना ग्रिड के जरिए किया जाना है जहां भौगोलिक बाधाओं के कारण ग्रिड उपाय पहुंच से परे हैं और 324 गांवों का विद्युतीकरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। इस प्रगति को और तेज करने के लिए ग्राम विद्युत अभियंता (जीवीए) के माध्यम से करीबी निगरानी की जा रही है और ऐसे गांवों की पहचान करते हुए जहां प्रगति में देरी हो रही है राज्य डिस्कॉम में कई कार्यवाहियां की जा रही हैं।

शुरू में इस सरकार के विचार, पहल और वायदे सच होने से ज्यादा कल्पना ही लग रहे थे लेकिन जैसे – जैसे समय बीता है ये सपने वास्तविकता में परिवर्तित हो चुके हैं और अगर चीजें अभी ऐसी दिख रही हैं तो लेखिका कल्पना ही कर सकती है कि अंतिम परिणाम कैसा होगा और वह बस इतना ही कह सकती है, 'मैं जो देख रही हूं मुझे अच्छा लग रहा है।'

पसूका

रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाए

शिमला/शैल। भारत में शिक्षित बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा कई करोड़ पहुंच गया है। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है, जहां शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग रोजगार की तलाश में दर-दर की ठोकरें नहीं खा रहा है। जबकि विश्व में भारत ही ऐसा देश हैं, जहां 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम युवाओं की है। देश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए अब रोजगार को मौलिक अधिकार में शामिल करने तथा रोजगार आयोग का गठन किया जाना अनिवार्य है।

यह बात पुरे देश में यूथ फॉर राइट टू एम्प्लॉयमेंट अभियान चला रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के पांच छात्रों ने शिमला में आयोजित बैठक के दौरान कही। इस मौके पर दिल्ली विवि के छात्र लक्षमण यादव ने कहा कि आज पुरे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस मुद्दे पर किसी भी पार्टी की सरकार गंभीरता से कार्य नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा कि इस अभियान को पिछले एक साल से पुरे देश में चलाया गया है। यूथ फॉर राइट टू एम्प्लॉयमेंट अभियान के माध्यम से वह राज्य व केंद्र सरकार से यही मांग करते आ रहे हैं कि रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाए। साथ ही एक रोजगार आयोग का गठन किया जाए, ताकि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार मुहैया हो सके। लक्षमण यादव ने कहा कि बेरोजगारी देश में सबसे ज्वलंत एवं बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी युवा रोजगार की तलाश में दर-दर की ठोकरें खाने को विवश है। उन्होंने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकारें बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में विफल साबित हो रही है। यही वजह है कि रोजगार न मिलने की वजह से आज का युवा वर्ग नशे सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यूथ फॉर राइट टू एम्प्लॉयमेंट का मकसद शिक्षित युवाओं को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही देश में निरंतर बढ़ रही बेरोजगारी के खिलाफ एक जनआंदोलन खड़ा करना है, ताकि शिक्षित युवाओं को उनके संवैधानिक अधिकार मिल सके।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में उन्होंने जिला सोलन से अपने जनआंदोलन को शुरू किया है और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ये दूसरी बैठक है। आगामी दिनों में यूथ फॉर राइट टू एम्प्लॉयमेंट प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी तथा ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस देश की जीडीपी लगातार बढ़ रही हो उस देश में रोजगार दर में गिरावट चिंता का विषय है। उन्होंने आंकड़ों को सामने रखते हुए कहा कि जनगणना 2011 के मुताबिक देश में बेरोजगारी की दर 2001 के 6.8 फिसदी बढ़कर 2011 में 9.6 फीसदी हो चुकी है।

जहां तक नौकरियों की बात है तो एनएसएसओ के आंकड़े बताते हैं कि पिछली तीमाही में रोजगार दर पिछले कई वर्षो की तुलना में सबसे नीचे है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2010 में 11लाख नौकरियां सृजित की गई थीं, वहीं वित्त वर्ष 2015 में यह संख्या घटकर 5 लाख पर आ गई है। यही नहीं, बल्कि पिछली तिमाही में यह आंकड़ा घटकर 91 हजार रह गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र तथा राज्यों में लाखों पद विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पड़े हैं, लेकिन उन पदों को भरने की प्रक्रिया लगभग बंद है। जबकि यह सभी पद स्वीकृत है। यानि कि स्वीकृत सभी पदों के लिए वेतन भत्ता वार्षिक बजट में आबंटित होता है। बावजूद इसके इन पदों को सृजित नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि इस राज्य में 900000 से ज्यादा युवा बेरोजगार है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में हिमाचल प्रदेश शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में चौथे पायदान पर है, लेकिन रोजगार देने में सबसे पीछे है। उन्होंने केंद्र तथा राज्य सरकारों से मांग की है कि रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाए, केंद्र व राज्यों में रिक्त पड़े लाखों पदों को शीघ्र भरने के लिए एक आयोग का गठन किया जाए, रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाए तथा ठोस सेवा शर्तो को बनाया जाए,जहां सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी सभी क्षेत्र समान जवाबदेही और शर्तो से संचालित हो।

इस मौके पर उनके साथ आशीष मिश्रा, संजय पासवान, अनुपम, उपमा, आशीष नेगी, पवन ठाकुर, जितेंद्र पाल, विक्रम, सुरेश सैनी, अंकित राज, महेश कुमार, नरेश बंसल, अनिल, काल्टा, सहित कई छात्र नेताओं ने भाग लिया।

मनी लॉंड्रिग में फंसे कांग्रेसी CM पर भाजपा अध्यक्ष सत्ती का हमला

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी बीवी व बाकी सदस्यों के ईडी के फदे में फंसने पर भाजपा ने बड़ा हमला किया है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित उनके पूरे परिवार पर काले धन को सफेद करने के भ्रष्टाचार की आंच उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, पुत्र विक्रमादित्य एवं पुत्री तक पहुंच चुकी है और प्रतिभा सिंह को प्रवर्तन निदेशालय समन जारी हो चुका है और इस मामले में उनके एलआईसी एजेंट आनंद चौहान को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री इतना कुछ होने के बावजूद भी अपनी कुर्सी से चिपके हए हैं और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और बार-बार यह कह कर जांच एजेंसियों को प्रभावित कर रहे हैं कि वह निर्दोष हैं।

भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि यदि वह निर्दोष हैं तो इस्तीफा दें व जांच का सामना करें। उन्होनें आरोप लगाया कि वीरभद्र सिंह बार-बार जांच एजेंसियों को प्रभावित भी कर रहे हैं और डरा धमका भी रहे हैं जिसके कारण मामले को लम्बा खींचा जा रहा है। उन्होनें कहा कि यह मामला गत 4 वर्षो से न्यायालय व अन्य एजेंसियों के सम्मुख लम्बित तथा तथ्यों पर आधारित भ्रष्टाचार का विषय होने और मनी लॉन्ड्रिग का मामला होने के बावजूद वह बार-2 अपने को राजनैतिक उत्पीड़न का मामला बता कर जनता को गुमराह कर रहे हैं।

सत्ती ने कहा कि आनंद चौहान के बाद मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बुलाया जाना इस बात का प्रमाण है कि वीरभद्र सिंह परिवार के विरूद्ध मनी लॉन्ड्रिग के पुख्ता साक्ष्य हैं। उन्होनें कहा कि वीरभद्र सिंह का पूरा समय अपने को बचाने, अपने परिवार, एजेंट को बचाने में लग रहा है । प्रदेश विकास की दृष्टि से शून्य पर आ खड़ा हो गया है तथा भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी वीरभद्र सरकार को चला रही है। सतपाल सत्ती ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वह तुरन्त अपने पद से इस्तीफा दें और अपना व अपने परिवार का बचाव सरकारी खर्च से करने के बजाये अपने निजी खर्चे से करें। अभी तक मुख्यमंत्री अपनी पेशी भुगतने के लिए भी सरकारी हैलिकॉप्टर का दुरूपयोग कर रहे हैं तथा सरकार की पूरी एजेंसिया उन्हें डिफैन्ड करने में लगी हुई है और हर हफ्ते बिना काम के दिल्ली के दौरे लगा रहे हैं।

हिमाचल के रणबांकुरों को सरकार देती ये तोहफे

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। प्रदेश के युवा भारी संख्या में सेना के विभिन्न अंगों में सेवा देते हुए देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। प्रदेश के सैनिक अपनी मातृ भूमि की रक्षा के लिए हमेशा बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद प्रदेश के चार बहादुर सैनिकों को सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त, दो सैनिकों को अशोक चक्र व 10 वीर सैनिकों को महावीर चक्र प्रदान किए गए हैं। प्रथम परवीर चक्र सेना प्रमुख, मेजर सोमनाथ को प्रदान किया गया था। वह भी हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे।

हिमाचल के बहादुर सैनिकों को अभी तक कुल 847 बहादुरी अवार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। इसके अलावा, 18 सैनिकों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। वीर सैनिकों की बहादुरी का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के उपरांत दिए गए कुल चार परमवीर चक्रों में से प्रदेश के दो बहादुर सैनिकों को परमवीर चक्र प्रदान किये गये, जिसमें से एक को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया।

देश की सीमाओं की रक्षा के लिए दिए गए इस योगदान के सम्मान स्वरूप राज्य सरकार सेवारत सैनिकों व पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है, और राज्य सरकार द्वारा उनको सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं व कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

सेवारत सैनिकों व पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने अलग से सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है, जो सैनिकों व पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के कार्यन्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त, पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन भी किया गया है।

राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विशेष रोजगार कक्ष स्थापित किया है, जो पूर्व सैनिकों को सेवानिवृति के उपरान्त रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को सरकारी सेवाओं में 15 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। गत वर्ष जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक 175 पूर्व सैनिकों व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों व युद्ध अपंगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया गया।

वर्तमान में प्रदेश में पूर्व सैनिकों की संख्या 1,10,366 है, जबकि युद्ध विधवाएं व पूर्व सैनिकों की सामान्य विधवाओं की संख्या 33,980 है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016-17 के बजट में परमवीर चक्र विजेताओं तथा अशोक चक्र विजेताओं को दी जाने वाली एक मुश्त राशि 25 लाख रुपये को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी है, जबकि वार्षिक राशि को 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये तथा महावीर चक्र विजेताओं की एक मुश्त 15 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है और वार्षिक राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया है। प्रदेश सरकार द्वारा सेना मेडल मेन्शन-इन -डिस्पैच के विजेताओं की वार्षिकी राशि को भी 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है। राज्य सरकार ने धर्मशाला स्थित युद्ध स्मारक संग्राहलय के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

इसी प्रकार युद्ध जागीर राशि को 2 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये वार्षिक किया है, जिस पर वर्ष 2015-16 के दौरान 53 लाख से अधिक की राशि खर्च की गई।

गत तीन वर्षो के दौरान प्रदेश सरकार ने विभिन्न शौर्य पुरस्कार विजेताओं को लगभग 5 करोड़ रुपये की सम्मान राशि प्रदान की है। सरकार द्वारा उन भूतपर्व सैनिकों, जिन्हें किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती है और जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, को मिलने वाली बुढ़ापा आर्थिक सहायता के लिए वार्षिक आय सीमा की पात्रता को 15 हजार से बढ़ाकर 35 हजार किया है। इसके अतिरिक्त, द्वितीय विश्वयुद्ध के ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है, को मिलने वाली आर्थिक सहायता को भी दो हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है।

प्रदेश सरकार युद्ध/ऑप्रेशनों में शहीद/अपंग हुए सैनिकों व उनके आश्रितों को भी अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। सरकार द्वारा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को 5 लाख रुपये तथा इस दौरान 50 प्रतिशत से अधिक अपंगों को 1.50 लाख रुपये तथा 50 प्रतिशत से कम हुए अपंग होने वाले सैनिकों को 75 हजार रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। गत तीन वर्षो के दौरान विभिन्न ऑप्रेशनों में शहीद हुए 128 सैनिकों के आश्रितों को 1 करोड़ 72 लाख से अधिक की अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान की गई है।

राज्य सरकार सेवारत, पूर्व सैनिकों की लड़कियों तथा सैनिक विधवाओं को सिलाई व कढ़ाई का प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। गत तीन वर्षो के दौरान 159 लड़कियों/विधवाओं को सैनिक कल्याण विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के वीरता पुरस्कार प्राप्त लाभार्थियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 716 वीरता पुरस्कार विजेता इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 655 युद्ध विधवाओं को भी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में आवागमन की नि:शुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है।

राज्य के वीर जवानों की बहादुरी की गाथाएं सुनकर और उनसे प्रेरित होकर यहां के युवाओं में सेना में प्रवेश की होड़ सी लगी है। आज राज्य के प्रत्येक जिले से और यहां तक कि लगभग प्रत्येक गांव से नौजवान सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राज्य के सैनिकों को सर्वोच्च सेना सम्मान एवं बड़ी संख्या में मैडल प्राप्त होना प्रदेश के लिये गर्व की बात है।

प्रदेश के सियासी समीकरण

.....पृष्ठ 1 का शेष

भंग करना पडा। नयी ईकाई के गठन की प्रक्रिया तो चल रही है लेकिन कब तक यह पूरी होकर प्रभावी ढंग से काम करना शुरू कर पायेगी यह कहना कठिन है फिलाहल आप के न होने का भी लाभ भाजपा और कांग्रेस को ही मिलेगा यह स्वाभाविक है।

कांग्रेस इस समय वीरभद्र मामले में ऐसी उलझ गयी है कि उसे कोई भी स्पष्ट फैसला लेने का साहस नही हो रहा है। सरकार इस समय हर रोज अपनी कथित उपलब्धियों के वखान नये-नये विज्ञापन जारी कर रही है। विज्ञापनों की रफ्तार जितनी तेज है उतनी ही तेजी वीरभद्र के दौरे में रही है। वीरभद्र ने भी अपने दौरों में जनता को दिल खोल कर घोषणाओं का तोहफा दिया है। घोषणाओं और विज्ञापनों को एक साथ मिलाकर देखाजाये तो पूरी स्थिति चुनाव प्रचार अभियान का संकेत देती है। क्योंकि घोषणाओं और विज्ञापनों से जनता में जो जन अपेक्षाएं उभार दी गयी हैं उन्हे दिसम्बर 2017 तक यथा स्थिति बनाये रखना किसी के लिये भी संभव नहीं है। फिर वीरभद्र सीबीआई और ईडी के जाल में ऐसे उलझे हुए हैं कि हर समय किसी भी अशुभ की आंष्शका के साये में जी रहे हैं। यह आंशका कभी भी सही सिद्ध हो सकती है कि स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के लिये नेतृत्व परिवर्तन या विधानसभा भंग करवा कर नये चुनावों में जाने का फैसला लेने की बाध्यता बढ़ती जा रही है। यदि विधानसभा भंग करवा कर नये चुनाव करवाने का फैसला लिया जाता है तो भाजपा भी उसका अनुमोदन करने को तैयार बैठी है कांग्रेस और भाजपा दोनों ही यह चाहेगें कि अगले वर्ष पंजाब के चुनाव होने से पहले ही हिमाचल के चुनाव करवा लिये जायें। क्योंकि इस समय प्रदेश में तीसरा राजनीतिक विकल्प है ही नही। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि इस समस कांग्रेस और भाजपा इस संभावित विकल्प को रोकने के लिये अपरोक्ष में आपस में तालमेल भी कर सकते हैं।

HIMUDA

PROVIDING SHELTER TO ALL

Under the Dynamic Leadership of

SHRI VIRBHADRA SINGH

Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh

and with the able guidance of

Shri Sudhir Sharma

Minister for Urban Development, Housing and Town & Country Planning

Stepping Stones to Success

1. New Housing Colonies are being setup at Sheel (Solan) Dharampur, Trilokpur, Moginand and the Work on construction of additional flats in Housing Colonies at Mandhala (Baddi), Bilaspur, Hamirpur, Dharamsala, Indora, Nurpur and Shahinallah (Kullu) is in progress.
2. HIMUDA has developed 73 Housing Colonies in different parts of the state and has established Commercial complexes at Baddi , Parwanoo, Solan, Kullu & Rohroo.
3. New Commercial Complex at Vikas Nagar is being set up with 3 Commercial Blocks & one Utility Block with an estimated cost of Rs 62.51 crore.
4. Atal Shiksha Kunj (Education Hub) spread over an area of 600 bighas is being developed at Kalu Jhanda (Baddi).
5. HIMUDA has successfully completed major Deposit Works of various Govt/Semi Govt. Organizations.
6. HIMUDA approved the Grant of Advance for Professional courses in Polytechnic, Engineering, Nursing, Pharmacy Medical to its employees.
7. HIMUDA decided to introduce e-tendering for transparency in construction works.
8. Lands are being identified to set up Satellite Townships at Shimla, Solan, Dharamshala, Mandi, Hamirpur and Una.
9. New Land Sites For Townships / Housing Colonies At Sarah (Dharamshala), Jathia Devi (Shimla) & Salakana (Solan)
10. To encourage public private partnership scheme "land owners becoming partner" launched.

(Er. Dinesh Kashyap)
CEO –cum-Secretary
HIMUDA, Shimla-2

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

स्कैंडल की गप–शप

दीपक सानन के लिये मेडिकल बोर्ड गठित होगा

शिमला। मुख्य सचिव वी सी फारखा से वरिष्ठ तीन आईएएस भारत सरकार के सचिव पैनल में आ गये हैं। इसमें से दो अधिकारी (सिहाग दम्पति) तो पहले ही केन्द्र सरकार में अपनी सेवायें दे रहे हैं। केवल उपमा चौधरी ही प्रदेश में हैं। जैसे ही उनकी नियुक्ति केन्द्र में किसी विभाग में हो जाती है वह तुरन्त प्रभाव से चली जायेंगी और राज्य सरकार भी उन्हे भेजने में कोई देरी नहीं करेगी। लेकिन इन सबसे सीनियर दीपक सानन और विनित चौधरी सचिव पैनल में नही आ पाये हैं। सूत्रों के मुताबिक विनित चौधरी के खिलाफ केन्द्र सरकार में चल रही प्रारम्भिक जांच शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है क्योंकि इस जांच में ऐसा कुछ नही पाया गया है जिसके आधार पर मामला आगे बढ़ाया जा सके। इस जांच के बन्द होते ही चौधरी का रास्ता भी पैनल में आने के लिये खुल जायेगा।

लेकिन दीपक सानन का मामला कुछ उलझ गया है। प्रदेश सरकार ने उनको एचपीसीए मामले मे चार्जशीट किया हुआ है। इसी मामले में विजिलैन्स ने अदालत मे चालान दायर कर रखा है जिसमें धारा 197 की अनुमति प्रदेश सरकार पहले ही दे चुकी है। पीसी एक्त के तहत भारत सरकार से अनुमति मांगी गई थी। केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार के इस आग्रह को अस्वीकार करते हुये अनुमति देने से मना कर दिया। केन्द्र द्वारा अभियोजन की अनुमति न दिये जाने पर सानन ने राज्य सरकार से चार्जशीट ड्राप करने का आग्रह किया था जिसे अभी तक माना नही गया है। राज्य सरकार से इस बारे में उन्होने आर टी आई के तहत भी जानकारी मांगी थी। राज्य सरकार के व्यवहार से आहत सानन लम्बे अरसे से छुट्टी मे चल रहे हैं।

फारखा के मुख्य सचिव बनने के बाद से विनित चौधरी और उपमा चौधरी भी छुट्टी पर चल रहे हैं लेकिन सानन उनसे पहले से ही छुट्टी पर हैं। सानन मेडिकल लीव पर हैं और करीब छः महीने होने जा रहे हैं। एक ही डाक्टर उनका उपचार करता आ रहा है जिससे कोई लाभ नही मिल रहा है सेवा नियमों में तो शायद यह प्रावधान है कि जब लम्बे समय तक एक ही डाक्टर के उपचार से लाभ ना मिले तो बड़े डाक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाकर उनकी राय ली जानी चाहिये। सूत्रों की माने तो सरकार ऐसे बोर्ड से राय लेने का विचार कर रही है।

अब फारखा प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते क्या फैंसला लेते हैं इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं।

जंगी थोपन पवारी परियोजना रिलांयस को मिलने का रास्ता साफ

शिमला/शैल। वीरभद्र के इस शासनकाल में सरकार के सारे बड़े बड़े दावों के वाबजूद प्रदेश के पॉवर प्रौजेक्टस में बड़े निवेश का दावा अमली शक्ल नही ले पाया है। हांलाकि सरकार ने निवेशकों के पक्ष में अपनी हाईड्रल नीति में भी कई बड़े बदलाव किये है इन बदलावों के अतिरिक्त सरकार ने 960 मैगावाट के जंगी थोपन पवारी हाईडल प्रौजेक्ट को सितम्बर 2015 में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रचर को देने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद इसी प्रौजेक्ट में अपफ्रन्ट प्रिमियम के नाम पर ब्रेकल – अदानी के जमा हुए 280 करोड़ को वापिस लौटाने का भी फैसला लिया। इस प्रौजेक्ट को लेकर रिलायंस 2009 – 10 से सर्वोच्च न्यायालय में गया हुआ था। क्योंकि उसे यह प्रौजेक्ट 2006 – 07 में वीरभद्र सरकार ने नही दिया था। उस समय यह प्रौजेक्ट नीदरलैण्ड की कंपनी ब्रेकल को दिया गया था। लेकिन ब्रेकल यह प्रौजेक्ट शुरू नही कर पाया और किसी न किसी बहाने सरकार से समय में बढ़ौतरी हालिस करता रहा। ब्रेकल के इस आचरण को रिलायंस ने प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस चुनौती में अदालत के सामने ब्रेकल के सारे दावे एकदम गल्त साबित हुए। उच्च न्यायालय ने ब्रेकल को फ्राड करार देते हुए इस आवंटन को ही रद्द कर दिया। जब इस प्रौजेक्ट के लिये टैण्डर निविदायें आमन्त्रित की गयी थी तब रिलायंस दूसरे स्थान पर था। लेकिन आवंटन रद्द होने के बाद भी जब प्रोजैक्ट रिलायंस को नही दिया गया तब रिलायंस इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ले गया ।

ब्रकेल के 2713 करोड़ का हर्जाना बसूलने का क्या होगा
क्या अदानी को 280 करोड़ लौटाना सरकार की जिम्मेदारी है

रिलायंस के सर्वोच्च न्यायालय में होने के बीच ही प्रदेश के सियासी समीकरण बदल गये। स्मरणीय है कि ब्रेकल जब इस प्रौजेक्ट की अपफ्रन्ट प्रिमियम अदा नही कर पाया था तब अदानी से 280 करोड़ कर्ज लेकर ब्रकेल ने 2008 में यह अपफ्रन्ट प्रिमियम अदा किया था। लेकिन अदानी ब्रेकल कन्सरोटियम का विधिवत अधिकृत सदस्य नही था। इसलिए ब्रेकल को कर्ज देने वाले के अतिरिक्त अदानी की इस प्रोजैक्ट में और कोई हैसियत नही बन पायी। ब्रेकल को 280 करोड़ का कर्ज अदानी ने सरकार की जिम्मेदारी पर नही दिया था। कर्ज ब्रेकल और अदानी का निजी मामला था। ब्रेकल के तय समय तक इस प्रोजैक्ट को पूरा न कर पाने के कारण जो नुकसान प्रदेश को हुआ है उसका आकलन 2713 करोड़ आंका गया है। यह 2713 करोड़ ब्रेकल से बसूल किया जाना था। इसके लिये पहले कदम के तौर पर उसके द्वारा जमा करवाया 280 करोड़ का अपफ्रन्ट प्रिमियम जब्त किया जाना था। इसके लिये ब्रेकल को नोटिस तक जारी हो रहा था। लेकिन सियासी समीकरणों के बदलने के कारण न केवल 2713 करोड़ के हर्जाने का नोटिस देना ड्राप किया गया बल्कि ब्रेकल के नाम अदानी का 280 करोड़ का कर्ज लौटाने का भी प्रबन्ध कर दिया गया।

रिलायंस और अदानी दोनो प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के चेहते उद्योगपति हैं। दोनो ने लोकसभा चुनावों में मोदी का किस हद तक साथ दिया है इसे पूरा देश जानता है। इस पृष्ठभूमि में रिलायंस और अदानी के हित आपस में जुड़ गये। यहां रिलायंस प्रोजैक्ट हासिल करने के लिये प्रदेश उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। ब्रेकल को अदालत ने फ्राड करार दे रखा है। ब्रेकल और अदानी वैध हिस्सेदार है नही। अदानी का इस तरह 280 करोड़ डूब रहा था। ऐसे में संयोवंश वीरभद्र – मोदी की सीबीआई और ईडी की जांच के शिकंजे में उलझ गये। स्थिति गंभीर बन गयी इसको भांपते हुए वीरभद्र के प्रबन्धकों ने अदानी अंबानी के सहारे मोदी तक पहुंचने का जुगाड़ भिडाया। इस जुगाड़ के प्रबन्धन में लगे वीरभद्र के एक अतिविश्वस्त अधिकारी की भूमिका तो बड़ी चर्चा तक का विषय बन गयी थी। इसी पृष्ठ भूमि में अन्ततः रिलायंस ने सवोच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापिस ली है। सरकार रिलायंस को यह प्रोजैक्ट देने की ऑफर भेज चुकी है जिसे उसने सिन्द्धात रूप में स्वीकार भी कर लिया है। रिलायंस को प्रौजेक्ट के लिये तो अपफ्रन्ट प्रिमियम देना ही है। अब इसी प्रिमियम को अदानी को वापिस दिया जाना है बदले में वीरभद्र को सीबीआई और ईडी से राहत दिलाने की शर्त है।

लेकिन अब ईडी अटैचमैन्ट आर्डर जारी करने के बाद एल आई सी ऐजैन्ट आनन्द चौहान को गिरफ्तार कर चुका है। सीबीआई ने गिरफ्तारी की रोक हठाने की याचिका दे रखी है। ईडी ने आनन्द चौहान पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया हुआ है। ऐसे में वीरभद्र का मामला इस समय ऐसा पेचीदा बन गया है जहां पर प्रत्यक्षतः राहत पहुंचा पाना बहुत आसान नही होगा। दूसरी ओर ब्रेकल को अदालत द्वारा एकदम आधार हीन पाये जाने के बाद उससे 2713 करोड़ के नुकसान के नोटिस को ड्राप करके 280 करोड़ वापिस लौटाने का जोखिम इस समय वीरभद्र का प्रशासनिक तन्त्र ले पायेगा इसको लेकर भी सन्देह है।

यह है तन्त्र की असंवेदनशीलता

शिमला/शैल। जब किसी गरीब की फरियाद तन्त्र में न सुनी जाये तो वह क्या करे? वह किस माध्यम से अपनी बात सत्ता के उच्च शिखरों तक पहुंचाये? ऐसी विवशता में ही संबधित व्यक्ति मीडिया के माध्यम का सहारा लेता है। उम्मीद करता है कि उसकी फरियाद ऊपर तक अवश्य पंहुच जायेगी। इसी उम्मीद से आयी हमीरपुर और कुल्लू की दो फरियादें आपके सामने यथास्थिति रखी जा रही है।

श्रीमान् जी,

हम तिथि 19–1–2016 को सवेरे 10 बजे से लेकर थाना मनाली में एक शिकायत पत्र लेकर थानेदार से मिली जिसमें हमने प्रमाण पत्र सहित शिकायत पेश की धोखा देकर उनके निकटतम रिश्तेदार के फर्जी और झूठा पावर ऑफ अटार्नी बना कर उनका बगीचा 6 लाख 90 हजार रूपये में बेच दिया। इस प्रमाण पत्र के साथ कि हमारा निकटतम रिश्तेदार मनाली के इस गांव में कभी रहा ही नहीं। हमने ठिठुहरे हुए ठंड में प्रार्थना कि FIR दर्ज की जाए। लेकिन अत्यन्त खेदजनक है कि अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई। हालांकि यह उच्चतम न्यायालय का घोर अपमान और उलंघन है। हम मंत्रियों से भी मिले लेकिन अभी तक हमारे टपटपाते हुए आंसुओं को पोंछने की किसी ने कदापि कोशिश नहीं की।

कृपया शीघ्र अति शीघ्र उचित कार्यवाई की जाए।

यही कारण है कि देश में महिलाओं के विरूद्ध अत्यन्त अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं।

भवदीय प्रार्थनाकर्ता :
ग्रामीण महिलाएं

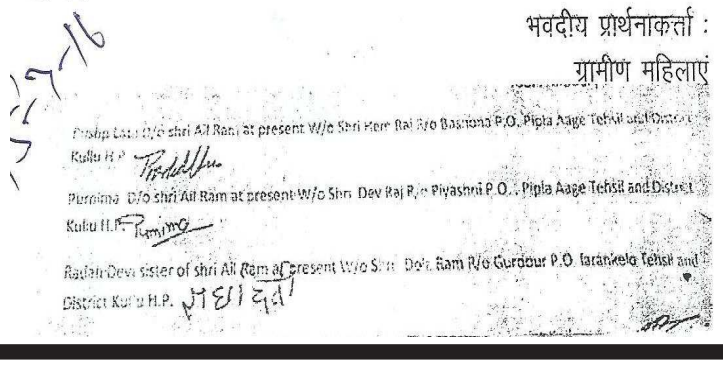

Pushpa Lata D/o shri Ali Ram at present W/o Shri Hem Raj R/o Bashona P.O. Pipla Aage Tehsil and District Kullu H.P.

Purnima D/o shri Ali Ram at present W/o Shri Dev Raj R/o Piyashni P.O. Pipla Aage Tehsil and District Kullu H.P.

Radha Devi sister of shri Ali Ram at present W/o Shri Dola Ram R/o Gurdour P.O. Ioranketa Tehsil and District Kullu H.P.

To
The Deputy Commissioner Hamirpur
Distt. Hamirpur HP

Sub: Application for the transfer of case from Gram Panchayat Morsu Sultani to any other Panchayat.

Sir,

1. This is with reference to the Criminal activities of the Members of the Gram Panchayat Morsu Sultani on 20 March 2016, 25 April 2016, 30 April 2016 and 1 May 2016, etc.
2. Criminal activities includes beating me and my daughter, destroying our mobiles, tearing our cloths, criminal trespass by the Members of the Gram Panchayat for which all these matters are registered in the Daily Station Diary at thana sadar Hamirpur. Against the Pradhan, Up-pradhan and panches along with others.
3. FIR is also registered against them.
4. I know that the State of HP wants to compel me to donate my land to them for the construction of the road, but I do not want to donate my land.
5. Yesterday I got the summon to appear before these Pradhan, Up-pradhan and panches of the Gram Panchayat Morsu Sultani on 25 July 2016 in some matter.
6. As these are the involved in attacking me and my daughter, I do not expect any justice from these peoples (Pradhan, Up-pradhan and panches of the Gram Panchayat Morsu Sultani) hence I request to transfer the case to any other Panchayat.
7. As SDM Barsar Sh. Akshey Sood, HAS is denying to take this written application, hence this email to you to take appropriate action and help me.

Applicant
Sandhya (9418930826) (Senior citizen)
Village Dodru

PO- Bhira
Tehsil Barsar
Hamirpur 177001 HP